

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 525 /2017/रायगढ़, दिनांक - 04/03/2017  
प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,  
बिलासपुर वृत्त  
बिलासपुर (छ.ग.)

**विषय :-** Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for construction of 765 KV D/C Jharsuguda-Dharamjaygarh 2<sup>nd</sup> Transmission line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.

पंजीयन क्रमांक :- FP/CG/TRANS/8080/2014

**संदर्भ :-** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक /भू-प्रबंध/विविध/479-135/ 163 दिनांक 17.01.2017

उपरोक्त विषयांतर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) रायगढ़ द्वारा प्रस्तावित 765 के.वी. D/C झारसुगुड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन- II के निर्माण में प्रभावित कुल वन एवं राजस्व वनभूमि 153.448 हे. में की गई आपत्तियों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

बि. क्र.	आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
1	रायगढ़ वनमण्डल के कक्ष 933 के प्रस्तावित क्षेत्र में अतिक्रमण दिख रहा है तथा स्थल में से मार्ग जाता दिख रहा है।	रायगढ़ वनमण्डल के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कक्ष क्रमांक 933 के संबंध प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./211 दिनांक 08.02.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। (प्रदर्श-1)
2	कोरबा वनमण्डल के कक्ष क्रमांक 1443 में घना patch दिखता है तथा रोपण हेतु हेतु 23.00 हे. क्षेत्र उपलब्ध होना संभव नहीं प्रतीत होता है।	कक्ष क्रमांक 1443 एवं 1465 के स्थान पर जांजगीर वनमण्डल के बलौदा परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 67 आर.एफ. में 40.409 हे. चयन किया गया है। जिसे
3	कोरबा वनमण्डल के कक्ष 1465 में घना वन दिखता है अधिकतम 40 प्रतिशत क्षेत्र ही रोपण हेतु उपलब्ध हो पाना प्रतीत होता है।	आनलाईन पोर्टल में ऐन्ट्री किया जाकर परियोजना प्रतिवेदन, डी.जी.पी.एस. सर्वे सेप फाईल एवं .kml File के साथ संलग्न है। (प्रदर्श-2)
4	कोरबा वनमण्डल के कक्ष 1449 में भी घना patch है अधिकतम 30 प्रतिशत क्षेत्र ही रोपण हेतु उपलब्ध हो पाना प्रतीत होता है।	वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमण्डल के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र 33.7057 हे. के बदले कोरबा वनमण्डल में कक्ष क्रमांक 1449 में 16.509 हे एवं 1140 में 20.000 हे. रोपण हेतु अनुपयुक्त पाये पर

		उसके स्थान पर जांजगीर वनमण्डल के बलौदा परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 80 आर.एफ. में 36.509 हे. चयन किया गया है। जिसे आनलाईन पोर्टल में ऐन्ट्री किया जाकर परियोजना प्रतिवेदन, डी.जी.पी.एस. सर्वे सेप फाईल एवं .kml File के साथ संलग्न है। शेष क्षेत्र जांजगीर वनमण्डल के बलौदा परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 80 आर.एफ. में 30.902 हे. का परियोजना प्रतिवेदन पूर्व में प्रेषित किया गया है। छायाप्रति संलग्न है। <b>प्रदर्श-3)</b>
5	कोरबा वनमण्डल के कक्ष 1140 में भी घना patch है अधिकतम 25 प्रतिशत क्षेत्र ही रोपण हेतु उपलब्ध हो पाना प्रतीत होता है।	कक्ष क्रमांक 1140 के स्थान पर जांजगीर वनमण्डल के बलौदा परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 67 आर.एफ. में 40.409 हे. चयन किया गया है। जिसे आनलाईन पोर्टल में ऐन्ट्री किया जाकर परियोजना प्रतिवेदन, डी.जी.पी.एस. सर्वे सेप फाईल एवं .kml File के साथ संलग्न है। <b>(प्रदर्श-2)</b>

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी  
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 526

/2017/रायगढ़, दिनांक - 04/03/2017

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छत्तीसगढ़, मेडिकल कालेज रोड, अरण्य भवन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम एवं पोस्ट कोतरा, नन्देली मार्ग जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी  
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

ok